

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर


क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/ए-141/एसीपी/2017/

दिनांक:-

--:आदेश:-

श्री अशोक कुमार यादव, नर्स प्रथम खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहरोड़ अलवर जिनकी राज्य सेवा मे प्रथम नियुक्ति 27.07.1990 है जिसके अनुसार दिनांक 27.07.2017 को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11 (7) एफ.डी/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं एफ.14(88)वित्त (नियम)/2008-। दिनांक 31.12.2009 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 27.07.2017 से पे-बैंड 15600-39100 मे ग्रेड-पे 6000 एसीपी स्वीकृत की जाती है।

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी। यदि प्रकरण में तीसरी संतान की शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारंभ से ही शून्य होगा।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/ए-141/एसीपी/2017/538

दिनांक:-16.11.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को उनके पत्र क्रमांक 3171 दिनांक 13.10.2017 के क्रम मे प्रेषित है।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहरोड़ अलवर।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

5. जमाये स्वर क्रम



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर